भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3806

जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

अदावाकृत बैंक जमा

†3806.श्री एम. के. राघवन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में दावा न किए गए बैंक जमा 62,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गए हैं और इनमें से अधिकांश निधि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास है और हाल के वर्षों में इन राशियों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ताओं के उत्तराधिकारियों को निष्क्रिय खातों और अदावाकृत निधि के बारे में सक्रिय रूप से सूचित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, विशेषकर ग्रामीण और कम आय वाले क्षेत्रों में जहां जागरुकता सीमित हो सकती है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई लक्ष्य या समय-सीमा निर्धारित की गई है कि इस अदावाकृत जमाराशि को सही मालिकों को लौटा दिया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) नागरिकों के लिए दावा प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए क्या तंत्र मौजूद है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ड.): बचत और चालू खातों में शेष राशि जो दस वर्षों तक निष्क्रिय रहती है, या सावधि जमाराशियों का परिपक्वता की तारीख से दस वर्षों के भीतर दावा नहीं किया जाता है, को अदावाकृत जमाराशियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुरक्षित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) निधि में अंतरित किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31.3.2024 और 31.3.2025 तक डीईए निधि में बकाया अदावाकृत जमा राशि क्रमशः रुपये 60,610.10 करोड़ और रुपये 74,580.45 करोड़ थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में जमा राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल जमाराशियों का लगभग 60% है। तदनुसार, 31.3.2024 और 31.3.2025 को डीईए निधि में रखी गई अदावाकृत जमाराशियों में पीएसबी की हिस्सेदारी क्रमशः 74.47 प्रतिशत और 74.18 प्रतिशत थी।

सही दावेदारों की समय पर पहचान सुनिश्चित करने, अदावाकृत जमाराशियों के मौजूदा स्टॉक के साथ-साथ डीईए निधि में नई वृद्धि को कम करने और नागरिकों के लिए दावा प्रक्रिया को सरल तथा तेज करने के लिए, भारत सरकार और आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) भारतीय रिजर्व बैंक ने 26.9.2025 को बैंकों के दिवंगत ग्राहक (अब आरबीआई जिम्मेदार व्यवसाय आचरण निर्देश, 2025 में एकीकृत) के संबंध में दावों के निपटान पर व्यापक निर्देश जारी किए हैं ताकि जमा खातों सहित मृत्यु दावों के निपटान के लिए प्रक्रियाओं को मानकीकृत और सुव्यवस्थित किया जा सके।

(ii) आरबीआई ने 30.9.2025 को एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जो 1.10.2025 से प्रभावी है, जिसमें बैंकों को प्रत्येक सफलतापूर्वक निपटाए गए दावे के लिए अदावाकृत जमा राशि (एक सीमा के अधीन) का 5%-7.5% का भुगतान करने की पेशकश की गई है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण - निर्देशों दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से बैंकों को दावा न किए गए खातों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित पहल करने का सुझाव दिया है:

- निष्क्रिय खातों/अदावाकृत जमाराशियों के संबंध में ग्राहकों, उनके नामांकित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाना।
- अपनी वेबसाइट पर अदावाकृत जमाओं की सूची प्रदर्शित और अद्यतन करना, जिसे कम से कम मासिक आधार पर नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
- निष्क्रिय खातों/अदावाकृत जमाराशियों को सक्रिय करने और दिवंगत जमाकर्ता के मामले में जमाकर्ता या उसके नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा उसमें पड़ी राशि का दावा करने की निर्धारित प्रक्रिया के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से जन जागरूकता और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाना।
- बैंक पत्रों, ईमेल या एसएमएस (यदि ईमेल और मोबाइल नंबर बैंक के साथ पंजीकृत हैं) के माध्यम से निष्क्रिय खाता/अदावाकृत जमा राशि के धारकों से संपर्क करेगा। ईमेल/एसएमएस त्रैमासिक आधार पर भेजे जाएंगे।

(iv) नागरिकों को वित्तीय क्षेत्र में अपनी अदावाकृत वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने और दावा करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के समन्वय से वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा तीन महीने (अक्टूबर-दिसंबर 2025) राष्ट्रव्यापी अभियान - "आपकी पूँजी, आपका अधिकार - YOUR MONEY, YOUR RIGHT" आयोजित किया गया था। अभियान के दौरान, जागरूकता सृजन करने और जनता को अपनी अदावाकृत वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने और दावा करने में सक्षम बनाने के लिए देश भर के 748 जिलों में विशेष शिविर आयोजित किए गए। 28.2.2026 तक, विभिन्न निधि विनियामकों द्वारा 5,777 करोड़ रुपये की अदावाकृत वित्तीय आस्तियों को सफलतापूर्वक उनके असली मालिकों को प्रत्यास्थापित कर दिया गया है, जिससे वित्तीय समावेशन और नागरिक सशक्तिकरण में काफी मजबूती आई है।

(v) आरबीआई ने सार्वजनिक उपयोग के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल उदगम (अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स – गेटवे टू एक्सेस इनफॉर्मेशन) लॉन्च किया है ताकि एक ही स्थान पर कई बैंकों में अदावाकृत जमाराशि का पता आसान हो सके।

(vi) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 ने बैंक ग्राहकों के लिए कई नामांकन (लगातार चार तक या एक साथ नामांकन तक) की अनुमति देने वाले प्रावधान पेश किए हैं।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के आधार पर, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने अदावाकृत जमाराशियों के लिए एक सामान्य आवेदन प्रपत्र और अदावाकृत जमाराशियों के दावे के लिए बैंकों के अदावादी जमा पोर्टल (व्यक्तियों द्वारा स्व-दावा) के माध्यम से मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।
